

आधुनिक युग में उपेक्षित बुजुर्ग

सारांश

इस संसार का शाश्वत नियम है कि जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है और अधिक वर्ष तक जीवित रहता है वह वृद्ध अवस्था होता है। वृद्धवरस्था बड़ी भयावाह अवस्था है, कोई वृद्ध नहीं होना चाहता फिर भी होना पड़ता है क्योंकि यही शरीरधारियों को अपिहार्य मृत्यु के निकट ले जाने की सीढ़ी है। वृद्धावस्था को ही देख कर महात्मा बुद्ध का मन उद्वेलित हो उठा था। मगध के राजपथ पर झुक कर चलती हुई एक वृद्धा को देख कर आचार्य चाणक्य ने मजाक में पूछा, "माताजी, आप झुककर इस राजपथ पर क्या खोज रही हैं?" वृद्धा ने उत्तर दिया, ऐ मूर्ख क्या तू नहीं जानता कि मेरी जवानी रूपी मोती खो गई है?" युवावस्था का स्फूर्तिमान शरीर वृद्धावस्था में शिथिल हो जाता है, शरीर के अंगों की कार्यशीलता क्षीण हो जाती है, ऐसी अवस्था में मनुष्य को दूसरों पर आश्रित होना पड़ता है कुल मिलाकर वृद्धावस्था, शैशव के अरुणोदय का सांध्य काल है। आज वैज्ञान बड़ी उन्नति कर चुका है। अग्नि, वायु व जल मनुष्य के आदेशों का पालन कर रहे हैं, मनुष्य आकाशचारी व अन्तरिक्षगामी हो चुका है पर अभी तक वैज्ञान ने इतनी उन्नति नहीं की है कि वह मनुष्य को अभिषप्त वृद्धावस्था से मुक्ति दिला सके।

मुख्य शब्द : वृद्धावस्था, सामाजिक एकाकीपन।

प्रस्तावना

आज के वैज्ञानिक युग में आयुर्विज्ञान आपने चरमोत्कर्ष पर है इसने बीमारियों से लड़ने ओर मृत्यु को पीछे ढकेलने के गुण सीख लिया है। परिणामतः मनुष्य की औसत आयु में वृद्धि हो गयी है। जिसके कारण वृद्धों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। एक अंग्रेज विचारक पील बल्लाश ने उम्रदार (Aged) लोगों की बढ़ती संख्या की समस्या को उग्र भूचाल Earth quake) की संज्ञा दी है। जिस अनुपात में वृद्धों की संख्या में वृद्धि हो रही हैं ठीक उसी अनुपात में उनकी समस्या में वृद्धि हो रही है।

भारत में वृद्धजनों की जनसंख्या

वर्ष	संख्या	प्रतिशत
1961	2,46,99,125	6.63
1971	3,26,80,995	5.93
1981	4,15,37,602	6.28
1991	556,05,593	6.58
2001	7,16,97,634	7.08
2011	9,78,69,607	8.18

भारतीय सभ्यता में अपने अतीत से मोह रखने और उसकी यादो के सहरे भविष्य का ताना—बाना बुनने की परम्परा रही है। इसलिए सहज रूप से अपने बुजुर्गों के साथ आत्मीय सम्बन्ध रखने की परम्परा भी यहां विकसित हुई है। पश्चिम में जब परिवार बिखरने लगे, न्यूक्लियर परिवार

के सिद्धांत ने वहां के सामाजिक ढांचे को विखंडित कर दिया और परिवार के बुजुर्गों को सारी भौतिक सुविधाएं देकर आपे अकेलेपन के साथ जीने के लिए छोड़ दिया गया तो तत्काल इसका असर वहां अन्य लोगों पर भी दिखने लगा। जब इससे बचाव के उपाय शुरू हुए तो पश्चिम ने अनिवार्यतः पूरब की ओर खासकर भारत की ओर देखना शुरू किया। भारत में कभी भी वृद्धवस्था को बोझ की तरह नहीं लिया गया। यहां तो मृत्यु को भी जीवन का विस्तार मानने की परम्परा रही है इसलिए बुढ़ापे को उसके वास्तविक भौतिक रूप में जीवन की अनिवार्य परिणति के रूप में लिया गया। लेकिन सामाजिक – पारिवारिक एकजुटता के सूत्र गढ़ने वालों को निश्चित रूप से इसका एहसास था कि समय के किसी कालखंड में परिवार के वृद्ध अवांछित हो सकते हैं इसलिए बुजुर्गियत को सम्मान व सेवा देने वाले अनगिनत उद्घरणों के साथ –साथ समाज व परिवार व्यवस्था में उनकी अनिवार्यता निर्धारित करने वाले अनेक तरह के सांस्कृतिक –धार्मिक प्रावधान किए गए। हमारी सभ्यता के विकास व विस्तार में बुजुर्गों की मौजूदगी और उनके परिवार का अविभाज्य हिस्सा होने की व्यवस्था साफतौर पर बनती दिखती है। पर अब इस व्यवस्था में बदलाव आ रहा है। पश्चिम ने हमारी पंरपराओं से सीख लेकर सुधार की प्रक्रिया शुरू की तो हम उनकी राह पर चलकर उनकी छोड़ी हुई परम्परा को अपनाने लगे हैं। उपभोक्तावाद, शहरों के तेजी से विकास, व्यविधियों में निजता की बढ़ती चाह, आर्थिक तनाव और जीवन को बेहतर बनाने की होड़ में खुद को खपा देने वाले युवाओं की बढ़ती तादाद से हालात बदले हैं। इससे न सिर्फ बुजुर्गों के प्रति सम्मान भाव में कमी आई है, बल्कि उनकी मौजूदगी को नजरअंदाज करने और एक हद तक उन्हे अपनी, तरकी और निजता के बीच बाधा मानने की सोच विकसित हुई है। दरअसल एक स्तर पर इसका कारण विचारों का फर्क भी है। इसके लिए कुछ तथ्यों पर सरसरी निगाह डालना जरूरी है भारत तेजी से युवा होता देष है, यहां की करीब 60 फीसदी आबादी 35 साल से कम उम्र के लोगों की है। इस देष के करीब 58 फीसदी या इससे युवा वर्तमान में जीना चाहते हैं, 80 फीसदी या इससे ज्यादा युवाओं के लिए कैरियर उनकी प्राथमिकता है और ज्यादातर कामकाजी लोगों के लिए तमाम भौतिक सुखा

सुविधाएं जुटा लेना जीवन की सबसे बड़ी आकांक्षा है। जाहिर है ऐसी स्थिति में पुरानी मान्यताएँ तो टूटेंगी ही। लेकिन इसे उपभोक्तावादी समाज के विस्तार कर अनिवार्य परिणति मानकर स्वीकार कर लेने से उन समस्याओं का जन्म होगा, जिनका धिकार पञ्चमी समाज कुछ समय पहले तक था और कुछ हद तक आज भी है। इसलिए आवश्यकता यह है कि वृद्धवस्था को बोझ मानने के बजाय उनकी सामाजिक जरूरत को रेखांकित किया जाए और व्यवस्थित तरीके से उन्हे भी समाज में हो रहे बदलाव को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की जाए। अगर वे अपने समय की दुनिया को श्रेष्ठ मानकर उसमें जीते रहेंगे और युवा अपने समय को श्रेष्ठ बताकर उनसे टकराते रहेंगे तो निष्प्रित रूप से विच्छेदन बढ़ेगा।

आज की अर्थप्रधान व उपभोक्तावादी संस्कृति में वृद्धि अपने को बड़ा दीन–हीन व असहाय समझ रहा है। सुख भोग की महत्वाकांक्षा ने आज के बेटों को बड़ा ही स्वार्थी व निर्दयी बना दिया है। यदि अधिक उम्र के बेटे अधिक धन बटोरने की अतृप्त अभिलाषा लिए हुए दिन–रात भाग दौड़ में व्यस्त हैं तो कम उम्र के बेटे टेलीविजन के रूपहले पर्दे पर धूम–धड़ाके वाला संगीत देखने में व्यस्त हैं, बूढ़े बाप के पास बैठने का उनके पास समय कहाँ है? आज के बेटों को बाप के स्वास्थ्य पर खर्च करने की अपेक्षा पाले गये कुत्ते के बिस्कुट व अपने बच्चे की मंहगे विद्यालय में पढ़ाई करवाने पर खर्च करना अधिक अच्छा लगता है। प्रयाग के महाकुम्भ मेले में आधुनिक श्रवण कुमारों के भी कारनामे दिखे जो तीर्थ कराने के बहाने अपने बूढ़े माँ–बाप को तीर्थराज प्रयाग की पावन नगरी में लाये तो, पर उन्हें भटकने और दर–दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ गये। कई घरों में कानफाड़ संगीत बजाता रहता है और जब वृद्ध का बीमार व अशान्त मन शान्ति की अभिलाषा से इस संगीत को बन्द करने को कहता है तो उसे फटकार मिलती है। तिरस्कृत वृद्ध की अंतर्वेदना की चीख–पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। और वह तिरस्कृत तथा उपेक्षापूर्ण जीवन जीने को बाध्य है। आज के एकाकी परिवार में पति–पत्नी और बच्चों के अलावा बूढ़ों का कहीं स्थान नहीं है तो कोई बाप इसलिए भी उपेक्षित रहता है क्योंकि उसके पास धन–सम्पत्ति व पेंशन आदि नहीं है नो कोई बाप

इयलिए प्रताड़ित किया जाता है कि उसके पास जो भी चल-अचल सम्पत्ति है वह सब बेटे के नाम कर दे।

औद्योगीकरण और शहरीकरण के फलस्वरूप वृद्धों की मुसीबतों में अप्रत्याषित रूप से वृद्धि हुई है। कुछ बेटे अपने बच्चों व पत्नी को लेकर शहर में आ बसते हैं। और गाँवों में तकलीफ की जिन्दगी जीने के लिए अपने बूढ़े माँ-बाप को छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि घरों में निवास कर रहे समृद्ध परिवारों के वृद्ध-वृद्धाओं को भी उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। परिवार के लोग देर रात तक टी०वी० पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम देखते रहते हैं। सुबह जल्दी नहीं उठ सकते अतः कई घरों में वृद्ध लोगों को समय से चाय-नास्ता भी नहीं मिल पाता। जिन परिवारों में एक से ज्यादा बहुएं हैं वे आपस में देखा-देखी करती हैं। बड़ी बहू सोचती है कि वृद्ध सास-ससुर की सेवा छोटी वाले करें, नतीजा होता है कि इस देखा-देखी में कोई नहीं करती और वृद्ध लोग अन्दर से कुढ़ते रहते हैं। दिल्ली जैसे महानगरों में इन दिनों वृद्ध दम्पत्तियों की हत्या के मामले बड़े षोचनीय स्तर तक बढ़ गये हैं। बेटे अच्छी नौकरियों के चक्कर में अपना एकाकी परिवार लेकर बाहर चले जाते हैं। और बंगलों में एकाकी जीवन जीने के लिए वृद्धों को छोड़ जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि या तो घरेलू नौकर या पड़ोसी का बेटा किसी दिन वृद्ध दम्पत्ति की हत्या कर सारा सामान लेकर चम्पत हो जाता है।

पीढ़ी अन्तराल का भी कुप्रभाव वृद्धों की मानसिक प्रताड़ना का कारण बनता है। वृद्ध लोग एक निर्मल सरिता की तरह होते हैं जिनके अन्दर का युवावस्था का विकार रूपी मल स्वच्छ हो चुका रहता है। संसार की निस्सारता की अनुभूति उन्हें भली-प्रकार हो चुकी रहती है। और वे प्रायः धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। निम्न मध्यमवर्गीय परिवारों में भी केबल

टी०वी० लगे रहते हैं। घर का वृद्ध सुबह-सुबह धार्मिक कार्यक्रम देखना चहता है। पर युवावर्ग के लड़के यो-यो हनी सिंह का शोर-शराबे वाला गीत सुनना चाहते हैं। अतः तुरन्त चैनल बदल दिये जाते हैं। और वृद्ध व्यक्ति मन मसोस कर रह जाता है। उसकी अन्तर्वेदना की अनुभूति युवा वर्ग नहीं करते। जब वृद्धवर्ग उपेक्षा का पात्र बन जाता है

तो उसमें थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है। तब घर वाले उससे और अधिक दूरी बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे में वृद्धजन अपने को बड़ा एकाकी व असहाय समझने लगते हैं।

वृद्धावस्था में न केवल शरीर व उसके विभिन्न अंग कमजोर हो जाते हैं। बल्कि उसका दिमाग भी क्षीण हो जाता है। उसे स्मृति भंग भी हो जाता है, वह तथ्यों को भूलने लगता है। स्मृति भंग रोग के शिकार वृद्धों की अपेक्षा वृद्धाएँ अधिक होती हैं। यदि परिवार के लोग वृद्धों को समुचित आदर व स्नेह दें तो न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहें। कई लोग ऊबकर वृद्धों को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, लेकिन उनका मन तो उपेक्षित होने के बावजूद भी परिवार वालों के मायापाप में बंधा रहता है, और वृद्धाश्रम भी वह अपने को दुखी ही महसूस करता है। कई गरीब माँ बाप सारी मुसीबतें झेलकर बेटे को अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं। बेटा ऊँचे पद पर पहुँच जाता है, किसी हाय-हलो कहने वाली समृद्धकुल की आधुनिका से विवाह कर अच्छे बंगले में रहने लगता है। किन्तु जब इसके वृद्ध माँ-बाप अपने जर्जर घरीर चिर दारिद्र्य की छाप लिए हुए बेटे के पास चैन से रहने के लिए जाते हैं, तो वे उसे फूटी आंखों नहीं भाते। बहू-बेटे उन्हें छुपा कर रखते हैं। किसी के सामने नहीं पड़ने देते। बंधन और उपेक्षा की जिन्दगी से ऊबकर बूढ़े माँ-बाप पुनः अपने मूल निवास को लौट आते हैं। और असहाय जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस प्रकार लाखों वृद्ध और वृद्धाएँ दुखी जीवन जीने के लिए बाध्य हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वृद्धों के कल्याण के लिए किये गये प्रयास

वृद्धावस्था को अब विश्व स्तर पर एक सामाजिक, आर्थिक व माननीय मुद्दा माना जाने लगा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी स्थापना के तीसरे वर्ष ही सन् 1948 ई० में अर्जन्टाइना की पहल पर वृद्धावस्था की समस्याओं पर विचार किया 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक व सामाजिक समिति ने इस विषय पर विस्तार से चर्चा किया। 1982 में आस्ट्रिया की राजधानी विएना में वृद्धावस्था के बारे में एक विष्य सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके बाद उसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा वृद्धावस्था के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय कार्य योजना को मंजूरी दी जिसे

विएना कार्य योजना के नाम से जाना जाता है। विष्व स्तर पर वृद्धों की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन् 1999 को वृद्धों के सम्मान में अन्तर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष घोषित किया। इस प्रकार राष्ट्र संघ भी वृद्धों के कल्याण के लिए कृत संकल्प हो गया है।

सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को प्रदत्त सुविधाएँ

सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए सरकारी क्षेत्र में बुजुर्गों के लिए कई योजनाएँ उपलब्ध हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों की सुविधाओं के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदारी है। कुछ समय पहले सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बुजुर्गों के लिए एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की, जिसके तहत पंचायती राज और अन्य संस्थाओं को निर्देश दिया है कि वे स्वयंसेवी संस्थाओं को वृद्धाश्रम आदि बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। इसी मंत्रालय द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं को डे केयर सेंटर, वृद्धाश्रम, चलती—फिरती स्वास्थ्य सेवा गाड़ी आदि कार्यक्रमों के लिए 90 प्रतिष्ठत तक आर्थिक मदद दी जाती है। रेल मंत्रालय 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को सभी श्रेणियों के किराए में 30 प्रतिष्ठत छूट देता है। इसके साथ ही रेलवे की सभी सेवाओं के लिए वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए अलग काउंटर भी उपलब्ध है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा इंडियन एअरलाइंस की सभी घरेलू उड़ानों में 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को किराए में 50 प्रतिष्ठत की छूट दी जाती है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर में छूट देता है वरिष्ठ नागरिकों को सेक्षन 139 (1) के तहत आयकर रिटर्न भरने की भी छूट है। रिजर्व बैंक द्वारा भी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी बचत योजनाओं में आधा प्रतिष्ठत ब्याज अधिक देने का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय सभी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों को अलग से लाइन की सुविधा उपलब्ध कराता है। देष के अनेक सरकारी व निजी बैंक भी वरिष्ठ नागरिकों को ऋण की विषेष सुविधाएँ प्रदान करते हैं। यह ऋण उन्हें निजी, स्वास्थ्य या अन्य खर्चों के लिए दिए जाते हैं आमतौर पर यह ऋण पेंशन के हिसाब से दिये जाते हैं और

उसमें गारंटी का प्रावधान होता है इन ऋणों में ब्याज दर आमतौर पर साधारण दर से कम होती है।

गैर सरकारी संगठनों की भूमिका

वृद्धों के बारे में राष्ट्रीय नीति में यह बात स्वीकार की गयी है कि गैर-सरकारी संगठन वृद्धजनों के कल्याण के सरकार के प्रयासों में पूरक की भूमिका निभाएंगे। देश में अनेक ऐसे संगठन वृद्धजनों के कल्याण हेतु सराहनीय कार्य कर रहे हैं, गैर सरकारी संगठन ग्रामीण और षहरी दोनों ही इलाकों में कार्यरत हैं और स्थानीय तथा राष्ट्रीय स्तर के संगठनों के रूप में कार्य कर रहे हैं। वृद्धों को मूल रूप से तीन चीजों : वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। यह संगठन किसी न किसी रूप में दोनों क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर “हेल्प एज इण्डिया” यह कार्य अपनी 220 परियोजनाओं के माध्यम से कर रही है। इन परियोजनाओं में पशुपालन, लघु उद्योग, वृक्षारोपण, साग—सब्जी उत्पादन, चारा उत्पादन, मोमबत्ती और लिफाफे बनाना आदि कार्य शामिल है। ये गतिविधियाँ वृद्धों के लिए विषेष उपर्युक्त हैं क्योंकि इनमें बहुत अधिक शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता। ऐसे वृद्ध जो असहाय हैं या जिन्हें पारिवारी उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है उन्हें सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाये जा रहे वृद्धगृहों में बसेरा मिल रहा है।

यह सराहनीय कार्य है कि सरकारी और गैर सरकारी संगठन वृद्धों के कल्याण के लिए कार्यरत हैं और काफी हद तक वे उनके रोटी, कपड़ा और मकान की भी व्यवस्था कर देते हैं। वृद्धाश्रमों में रह रहे बुजुर्गों का एक भावनात्मक पहलू भी है। जिस वृद्ध के बेटे—बेटियाँ जीवित हैं और सक्षम भी हैं और यदि वह वृद्ध परिजनों की उपेक्षा के कारण वृद्धाश्रम में रहने को बाध्य है तो वहाँ की सारी सुख—सुविधा के बावजूद उसके मन में एक अवयक्त वेदना सदैव व्याप्त रहती है। जिन बेटे—बेटियों के लिए युवावस्था में उसने अनेक कष्ट सहे, जिनको उसने अपने खून—पसीने से पाला, आज यदि वे उनकी उपेक्षा करते हैं, तो वह वृद्ध सदैव एक अन्तर्वेदना से पीड़ित होता रहता है। मूल आवश्यकता इस बात की है कि समाज की मानसिकता बदली जाए, उनमें वृद्धजनों की सेवा का नैतिक भाव भरा जाए। अच्छा होगा कि वृद्धों की सेवा उनके घर में ही हो, यदि उनके बेटे—

बेटियाँ गरीब हों तो वृद्धों के भरण—पोषण हेतु उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए। यदि वृद्धों की संतानें उन्हें समुचित आदर और सम्मान के साथ रखें और श्रद्धायुक्त मन से उनकी सेवा करें तो वृद्धजन भावनात्मक रूप से भी सन्तुष्ट और सुखी रहेंगे। जिन बुजुर्गों का दुनिया में कोई नहीं है, वे वृद्धाश्रम में रहें तो उन्हें उतना कष्ट नहीं होगा। अच्छा होगा कि इस जगत का मालिक सबको सद्बुद्धि दें और लोग अपने वृद्ध माता—पिता की सेवा सच्ची श्रद्धा से करें। आज का युवा वर्ग इस बात का ध्यान रखें कि यदि वे अपने मां—बाप की उपेक्षा करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी भी उनके साथ भी वहीं व्यवहार करेगी और तब उन्हें असहनीय अन्तर्वेदना झेलनी पड़ेगी। अतः सभी लोग वृद्ध माता—पिता की सेवा करके समाज में एक स्वस्थ परम्परा को बनाये रखें तो वृद्धावस्था असहाय व मर्माहत नहीं होगी।

सन्दर्भ सूची

1. आयुरक्षा—31, विकास के लिए वृद्धों की देखभाल, हेल्पेज इण्डिया वर्ष 9, अंक 6, दिसम्बर 2000।
2. अनिल शेखावत, वरिष्ठ नागरिक और सुविधाएँ, दैनिक भास्कर 1 अक्टूबर 2004।
3. वृद्धवस्था की समस्याएँ व निराकरण, 2004, परीक्षा मंथन प्रकाशन, इलाहाबाद।
4. ऋतु सारस्वत, युवाओं के देश में उपेक्षित बुजुर्ग, अमर उजाला, 2 मई 2011।
5. आलोक त्यागी, अक्लेपन का विकल्प जरुरी, दैनिक भास्कर 1 अक्टूबर 2004।
6. गुप्ता एवं शर्मा, वृद्धावस्था: समस्याएँ एवं समाधान, सहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
7. Patti, R.N. Jena, B, "Aged in India", 1989, Ashish, Publishing House, New Delhi.